

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 300] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 21, 1979/आषाढ़ 30, 1901
No. 300] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 21, 1979/ASADHA 30, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती हैं जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation.

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जुलाई, 1979

का. आ. 417 (अ).—शिपिंग डेवलपमेंट फण्ड कमेटी (जनरल) रूल्स, 1950 के नियम 4 के साथ पठित मर्चेण्ट शिपिंग एक्ट, 1958 (1958 का 44) की धारा 15 की उपधारा (1) के द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार इस अधिसूचना के द्वारा श्री एस. के. बनेजी, सॉलिसिटर, विधि कार्य विभाग, विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय, महानिदेशक, नौवहन, बम्बई और कार्यकारी निदेशक, नौवहन विकास निधि समिति, बम्बई को तत्काल नौवहन विकास निधि समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त करती हैं और भारत सरकार के पूर्वगत परिवहन और संचार

मंत्रालय, परिवहन विभाग (परिवहन पक्ष) की दिनांक 17 मार्च, 1959 की अधिसूचना संख्या का. आ. 628 में निम्नलिखित संशोधन करती है :—

उक्त अधिसूचना में,—

- (1) क्रम संख्या 3 और उससे सम्बद्ध प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि की जाय, अर्थात् “3. कार्यकारी निदेशक, परिवहन विकास निधि समिति, बम्बई।”
- (2) क्रम संख्या 5 और उससे सम्बद्ध प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि की जाय, अर्थात् “5. महानिदेशक, परिवहन, बम्बई।”
- (3) क्रम संख्या 7 और उससे सम्बद्ध प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि की जाय, अर्थात् “7. श्री एस. के. बैनर्जी, सॉलिसिटर, विधि कार्य विभाग, विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली।”

[संख्या एस. डब्ल्यू.एम. एस. डी (24)/79-एमडी]

ए. पद्मनाभन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Transport Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st July, 1979

S.O. 417(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 15 of the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958) read with Rule 4 of the Shipping Development Fund Committee (General) Rules, 1960, the Central Government hereby appoints Shri S. K. Banerjee, Solicitor, Department of Legal Affairs, Ministry of Law, Justice and Company Affairs, the Director General of Shipping, Bombay and the Executive Director, Shipping Development Fund Committee, Bombay as members of the Shipping Development Fund Committee with immediate effect and make the following amendments in the notification of the Government of India in the late Ministry of Transport & Communications, Department of Transport (Transport Wing) No. S. O. 628, dated 17 March, 1959 namely :—

In the said notification,—

- (i) For S. No. 3 and entries relating thereto, following shall be substituted, namely,—“3. Executive Director, Shipping Development Fund Committee, Bombay.”
- (ii) For S. No. 5 and entries relating thereto, following shall be substituted namely,—“5. Director General of Shipping Bombay.”
- (iii) For S. No. 7 and entries relating thereto, following shall be substituted, namely,—“7. Shri S. K. Banerjee, Solicitor, Department of Legal Affairs, Ministry of Law, Justice and Company Affairs, New Delhi.”

[No. SW-MSD(24)/79-MD]

A. PADMANABAN, Jt. Secy.